दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

वृहस्पतिवार, 23 नवम्बर, 2000/मार्गशीर्ष 02, 1922 (शक)

संख्या-40

अप॰1॰00 बजे

1॰ सदन के समवेत होते ही, डॉ॰जगदीश मुखी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष के ऊपर लगाये गये आरोपों, जिनकी जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है, के बारे में दिये गये अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी चाही । माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि यह मामला पहले ही लोकायुक्त के अधिनिर्णीत है, जो कि एक कोर्ट है । नियम-61(8) के अनुसार इस तरह के मामले स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त कॉल एंड शकधर, जो कि संसदीय प्रक्रिया के लिये प्राधिकृत पुस्तक है में स्पष्ट कहा गया है कि अध्यक्ष ऐसे विषयों पर चर्चा को स्वीकार न करें, जो सब-जुडिश हों । इसलिये उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

विरोधी दल के सदस्य मामले को उठाते रहे और नारे लगाते हुए सभा मंडप में आ गये । उनके इस अनुज्ञापूर्ण आचरण के लिये निम्नलिखित सदस्यों को अध्यक्ष महोदय ने सदन से बाहर जाने के लिये कहा :-

डॉ॰जगदीश मुखी
श्री नन्द किशोर गर्ग
श्री अविनाश साहनी
श्री सुशील चौधरी
श्री जय भगवान
श्री ब्रहम सिंह तंवर
श्री रविन्द्र नाथ बंसल
श्री मोहन सिंह बिष्ट
श्री साहब सिंह चौहान
श्री नरेश गौड़
डॉ॰हर्षवर्द्धन
श्री राम भज
श्री पूरन चन्द योगी

अप॰1॰15 बजे

2॰ लगातार शोर-शराबा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने 5 मिनट के लिये सदन को स्थगित किया ।

अप·1·28 बजे

3· सदन पुनः समवेत हुआ । श्री हरशरण सिंह बल्ली ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार न करने का मामला उठाने की कोशिश की । अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सदन से बाहर जाने के लिये कहा ।

अप·1·31 बजे

4· औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा जारी । निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती मीरा भारद्वाज
श्री शादी राम

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अप·2·03 बजे

5· **प्रश्न**

तारांकित प्र·सं·41,43,44,45,48,50 और 51 पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये तथा तारांकित प्र·सं·42,46,47,49, 52 से 60 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये । अतारांकित प्र·सं· 79 से 145 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अप·3·00 बजे

6· **सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये पत्र**

(1) श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने दिल्ली अल्प संख्यक आयोग नियम, 2000 के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या-एफ·10/3/98-गृह(पु·)/स्था·/पार्ट-1/(रूल्स-55) दिनांक 3·11·2000 की प्रति सदन पटल पर रखीं ।

(2) श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने दिल्ली जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 में संशोधन के संबंध में 22·6·2000 को जारी अधिसूचना की प्रति सदन पटल पर रखी ।

(3) श्री परवेज हाशमी ने वर्षदिल्ली परिवहन निगम से संबंधित वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे और परीक्षण रिपोर्ट तथा दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारी भविष्यनिधि ट्रस्ट की वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक के परीक्षण लेखे सदन में प्रस्तुत किये ।

अप·3·02 बजे

7· श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया :-
"इस सदन की यह राय है कि भारतीय संविधान के निर्माता-बाबा साहब भीम रॉव अम्बेडकर की एक मूर्ति दिल्ली विधान सभा परिसर में स्थापित की जाये ।"

संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

8· **अप·3·04 बजे - जलपान-अवकाश**

अप·3·35 बजे

9· सदन पुनः समवेत हुआ । कुछ सदस्यों ने श्री रूप चन्द द्वारा डॉ·अम्बेडकर के बारे में की गई टिप्पणियों का विरोध किया । अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि श्री रूप चन्द द्वारा दिये गये वक्तव्य को कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

अप·3·44 बजे

10· **विशेष उल्लेख§नियम-287§**

निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत मामले उठाये-

1· श्री रूप चन्द
2· श्री वीर सिंह
3· श्री सुरेन्द्र कुमार
4· श्री भीष्म शर्मा

अप·3·59 बजे

11· प्रस्ताव

§।§ श्री अजय माकन ने प्रस्ताव किया कि -"यह सदन दिनांक 22·11·2000 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पाँचवे प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

§।।§ श्री मंगत राम सिंघल ने प्रस्ताव किया कि -"यह सदन दिनांक22·11·2000 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

अप·4·02 बजे

12· **नियम समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण**

श्री अजय माकन ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया ।

विधायी प्रस्ताव

अप·4·03 बजे

13· **विधेयक का पुरःस्थापन**

श्री महेन्द्र सिंह साथी, वित्त मंत्री ने दिल्ली बिक्री कर(दूसरा संशोधन) विधेयक, 2000 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी और अनुमति मिलने पर विधेयक को सदन में पुरःस्थापित भी किया ।

अप·4·04 बजे

14· **विधेयक पर विचार एवं पारित करना**

(1) श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली कारागार विधेयक, 2000 को विचार के लिये लिया जाये ।
प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।
मुख्य मंत्री ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दिया।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मुकेश शर्मा
श्री रमा कान्त गोस्वामी
श्री शोएब इकबाल
श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
श्री अरविन्दर सिंह लवली
डॉ· किरण वालिया

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

4·40 बजे **विधेयक पर खण्डवार विचार**

सदन द्वारा विधेयक पर खण्डवार विचार किया गया :-

श्री मुकेश शर्मा द्वारा सदन की अनुमति से खण्ड-2(एम) में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।
खण्ड-2 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।
खण्ड-3 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-4॥1॥ में श्री मुकेश शर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"सरकार अधिसूचना द्वारा दिल्ली में सभी जेलों के प्रशासन और प्रबन्धन के इंचार्ज के रूप में एक जेल महानिरीक्षक नियुक्त करेगी जो आई·ए·एस·/आई·पी·एस· सेवा का हो ।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-4॥2॥ में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-4 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-5 से खण्ड-13 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-14 में 14॥2॥ के रूप में नया खण्ड जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"चिकित्सा अधिकारी किसी कैदी को बिना यह बताये कि उसे क्या दिया जा रहा है, कोई इस प्रकार की दवाई नहीं देगा ।"

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया।

संशोधन सहित खण्ड-14 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-15॥2॥ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-15 से खण्ड-27 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से राजनीतिज्ञों/सरकारी कर्मचारियों के लिये अलग वार्ड बनाने संबंधी खण्ड-28 में दिया गया अपना संशोधन वापिस ले लिया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-28 में नया उप-खण्ड-28(8) जोड़ने संबंधी अपना निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

"समस्त खून के रिश्ते वाले कैदियों को, जिन्हें लिंग भेद के आधार पर अलग रखा गया है, को जेल अधिकारी की उपस्थिति में हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति दी जाये ।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-28 से खण्ड-32 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

सदन की अनुमति से श्री भीष्म शर्मा द्वारा खण्ड-33 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-33 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-34 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

सदन की अनुमति से श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-35 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-35 से खण्ड-45 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-46(23) में "प्रावधान" के रूप में अपना निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

"परन्तु यह धार्मिक आधार पर पुरुष/महिला कैदियों पर लागू नहीं होगा और इस प्रकार के कैदियों को अपनी धार्मिक भावनाओं को पूरा करने के लिये यथासंभव सुविधाएं प्रदान की जायेगी ।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-46 से खण्ड-56 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-57 में पहले दिये गये अपने सभी संशोधनों को वापस ले लिया और सदन की अनुमति से खण्ड-57(5) के रूप में अपना निम्नलिखित संशोधन पेश किया :-

"निर्धारित नियमों के अनुसार जेल के सामान्य प्रबन्धन के लिये सरकार को सलाह देने के लिये एक जेल सलाहकार बोर्ड होगा ।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

यथासंशोधित खण्ड-57 मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

सदन की अनुमति से श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-58 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-58 से खण्ड-61 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

सदन की अनुमति से श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-62 में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-62 से खण्ड-74 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक मतदान के लिये रखे गये और ध्वनिमत से स्वीकार किये गये ।

अप·5·01 बजे

मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली कारागार विधेयक, 2000 को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

अप·5·02 बजे

डॉ·नरेन्द्र नाथ, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली विद्युत सुधार विधेयक, 2000 को विचार के लिये लिया जाये । ऊर्जा मंत्री ने विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया । प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री अजय माकन
2· श्री मुकेश शर्मा
3· श्री शोएब इकबाल
4· डॉ·किरण वालिया
5· श्री अमरीश सिंह गौतम
6· श्री भीष्म शर्मा

डॉ·नरेन्द्र नाथ, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया ।

विधेयक पर खण्डवार विचार

खण्ड-2 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

सदन की अनुमति से श्री मुकेश शर्मा और श्री भीष्म शर्मा ने खण्ड-3§2§ में दिये गये अपने संशोधन वापस ले लिये ।

खण्ड-3 को मतदान के लिये रख गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-3§2§ के बाद नया खण्ड जोड़ने के संबंध में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

श्री मुकेश शर्मा और श्री भीष्म शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-4§1§§ए§ में दिये गये अपने संशोधन वापस ले लिये ।

खण्ड-4 से खण्ड-6 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-7 में नया उप-खण्ड-7§8§ जोड़ने संबंधी अपना निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :-

> "इस खण्ड में कुछ न होने के बावजूद यह अर्थ न लगाया जाये कि ये लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-7 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने सदन की अनुमति से खण्ड-8§5§ में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-8 से खण्ड-10 मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-11§1§§ए§ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-11 से खण्ड-13 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-14§1§ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिया ।

खण्ड-14 एवं खण्ड-15 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-16§1§ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-16 एवं खण्ड-17 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-18 में "परन्तुक" के रूप में दिया गया अपना संशोधन वापस ले लिया ।

खण्ड-18 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-18 के बाद नया खण्ड जोडने संबंधी अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड-19 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-20§1§ में दिया गया अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया ।

खण्ड--20§1§ में श्री नन्द किशोर गर्ग का संशोधन पेश नहीं हुआ।

खण्ड-20 से खण्ड-34 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-35 में श्री नन्द किशोर गर्ग का संशोधन पेश नहीं हुआ ।

खण्ड-35 से खण्ड-58 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

श्री मुकेश शर्मा ने खण्ड-59 में दिया गया अपना संशोधन पेश नहीं किया ।

खण्ड-59 से खण्ड-64 को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

खण्ड-1,प्रस्तावना एवं शीर्षक को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

अप·6·05 बजे

डॉ·नरेन्द्र नाथ,ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली विद्युत सुधार विधेयक, 2000 को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

अप·6·06 बजे

सदन शुक्रवार, 24 नवम्बर,2000 को अप·2·00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।

दिल्ली,
23 नवम्बर,2000

एस·के·शर्मा
सचिव